मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 532]   भोपाल, बुधवार, दिनांक 29 सितम्बर 2010—आश्विन 7, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2010

क्र. (15)-बी-1-36-2009-2-पांच.—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 13 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"13. **सत्यापन रिपोर्ट का प्राप्त किया जाना.**—निर्यातकर्ता, आयात करने वाली इकाई के भारसाधक अधिकारी से सत्यापन रिपोर्ट अभिप्राप्त करेगा और अनुज्ञापत्र की कालावधि की समाप्ति के 40 दिन के भीतर उस प्राधिकारी को देगा, जिसके द्वारा निर्यात अनुज्ञा जारी की गई है. यदि निर्यातकर्ता ऐसा करने में असफल रहता है तो निर्यात की गई विदेशी मदिरा पर उद्ग्रहणीय शुल्क, नियम 12 के उपनियम (4) के अनुसार जमा राशि, दी गई बैंक गारंटी या निष्पादित किए गए बंधपत्र, से वसूल किया जाएगा. यह किसी ऐसी अन्य शास्ति के अतिरिक्त होगा जो नियम, 19 के अधीन अधिरोपित की जाए:

परंतु सत्यापन रिपोर्ट, 40 दिन की नियत समयावधि के पश्चात् प्रस्तुत किए जाने की दशा में, वसूल किया गया शुल्क, सम्यक् सत्यापन के पश्चात्, निर्यातकर्ता को वापस कर दिया जाएगा. उस दशा में, जहां कि किसी प्राधिकारी द्वारा परेषित माल रास्ते में ही अभिगृहीत कर लिया जाता है और वह गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाता है तो उद्ग्रहणीय शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा:

परंतु यह और कि यदि विदेशी मदिरा किसी अन्य देश को निर्यात की जाती है तो मदिरा निर्यात करने वाला अनुज्ञप्तिधारी इस बात का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा कि परेषित माल वास्तव में देश से बाहर जा चुका है.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2010

क्र. (15)-बी-1-36-2009-2-पांच—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. (15)-बी-1-36-2009-2-पांच, दिनांक 29 सितम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 29th September 2010

No. (15)-F-B-1-36-2009-2-V.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (d) of sub-section (2) of Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, for rule 13, the following rule shall be substituted, namely:—

"13. **Securing the Verification Report**.—The Exporter shall obtain verification report from the officer-in-charge of the importing unit and furnish it to the authority who issued the export permit, within 40 days from the expiry of period of permit. If the exporter fails to do so, the leviable duty on the foreign liqour exported shall be recovered from deposits made, bank guarantee furnished or the security bond executed in accordance with sub-rule (4) of rule 12. This shall be in addition to any other penalty which may be imposed under rule 19:

Provided that in case the verification report is submitted after the stipulated 40 days time period, the recovered duty shall be refunded after due verification to the exporter. In case the consignment is seized midway by any authority and it does not reach the destination, the leviable duty shall not be recovered:

Provided further that if the foreign liquor is exported to another country, the licensee exporting the liquor shall furnish documentary evidence that the consignment has actually left the counrty.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.